**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**कोरम: माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं**

**माननीय श्री राधे श्याम शर्मा न्यायाधीशगण**

**दाण्डिक अपील क्रमांक 75 वर्ष 2006**

**अपीलकर्तागण** :1 बोधिराम साहू, लगभग 56 वर्ष आयु, पिता पुद्दुराम (मृत - नाम हटा दिया गया)

2 राजेंद्र साहू उम्र लगभग 31 वर्ष पिता बोधिराम साहू

3 राकेश उर्फ शेरा, उम्र लगभग 20 वर्ष, पिता बोधिराम

सभी निवासी कोदवाबानी ग्राम, थाना लालपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग)

**बनाम**

**प्रत्यर्थी** : छत्तीसगढ़ राज्य, पुलिस थाना मुंगेली, जिला बिलासपुर (छ.ग)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**एवं**

**दाण्डिक अपील क्रमांक 422 वर्ष 2009**

**अपीलकर्ता** : राजेश उर्फ पालू साहू, पिता बोधीराम साहू, उम्र लगभग 25 वर्ष,

निवासी ग्राम कोदवाबनी, थाना। लालपुर, तहसील मुंगेली,

जिला बिलासपुर (छ.ग.)

**बनाम**

**प्रत्यर्थी** : छत्तीसगढ़ राज्य, पुलिस थाना मुंगेली, जिला बिलासपुर (छ.ग)

**(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के तहत दाण्डिक अपीलें)**

---

उपस्थिति: दाण्डिक अपील क्रमांक 75/2006 में अपीलकर्ताओं की ओर से श्री के.ए. अंसारी, वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री वीरेंद्र चंद्रकर, अधिवक्ता उपस्थित हुए।

श्री ए.के. यादव दाण्डिक अपील क्रमांक 422/2009 में अपीलकर्ता के अधिवक्ता।

श्री राजेंद्र त्रिपाठी, राज्य/प्रत्यर्थी के शासकीय अधिवक्ता ।

---

**निर्णय**

(20.03.2012)

**न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा ने न्यायालय का निर्णय उद्घोषित किया।**

(1) दाण्डिक अपील क्रमांक 75/2006 मुंगेली के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सत्र परीक्षण क्रमांक 419/2004 में दिनांक 26 दिसंबर, 2005 को पारित निर्णय के विरुद्ध दायर की गई है; और दाण्डिक अपील क्रमांक 422/2009 मुंगेली के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सत्र परीक्षण क्रमांक 29/2007 (फरार आरोपी का पश्चात परीक्षण) में दिनांक 26 मई, 2009 को पारित निर्णय के विरुद्ध दायर की गई है।

(2) आक्षेपित निर्णयों द्वारा अपीलकर्तागण को धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया गया है और सत्र परीक्षण क्रमांक 419/2004 में प्रत्येक को 1,000/- रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है तथा सत्र परीक्षण क्रमांक 29/2007 में 100/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) अपीलार्थी- बोधिराम साहू (आपराधिक अपील क्रमांक 75/2006 में अपीलार्थी क्रमांक 1) की अपील लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई, इसलिए उनका नाम अपील के कारण-शीर्षक से हटा दिया गया है और अपीलार्थी क्रमांक 1 की ओर से दायर अपील समाप्त हो गई है।

(4) संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं:-

मृतक जोधू अपीलार्थी-बोधिराम का सगा भाई था। अपीलकर्ता- राजेंद्र साहू, राकेश उर्फ शेरा और राजेश उर्फ पालू साहू अपीलार्थी-बोधिराम के बेटे हैं। वे कोदवाबनी गांव के रहनेवाले हैं. जेठू मारखंडे (अ.सा-2) झुलना गांव का निवासी है, दिनांक 5.5.2004 को लगभग 11.00 बजेसुबह तड़के, वह झुलना गांव में अपने घर में मौजूद थे। उन्होंने देखा कि पांच लोग लाठियां लिए एक व्यक्ति का पीछा कर रहे थे। उन्होंने जयजयराम के खेत में उसे पकड़ लिया और लाठियों से उसकी पिटाई की। यह देखकर जेठू मार्खंडे (अ.सा-2) कोतवार गांव गए। जब वे वापस लौटे, तो उन्होंने देखा कि हमलावर मृतक की हत्या करके भाग गए थे। जेठू मार्खंडे (अ.सा-2) ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर, प्रदर्श-पी/2) दर्ज कराई। रिपोर्ट पांच अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई थी। जांच अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, पंचों को नोटिस (प्रदर्श-पी/19-ए) दिया और मृतक के शव

का शव परीक्षण (प्रदर्श-पी/19) तैयार किया। मृतक के शव को अनुरोध पत्र प्रदर्श-पी/13-ए के माध्यम से शव परीक्षण के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम डॉ. पी.सी. जोशी (अ.सा-7) द्वारा किया गया। मृतक के शव पर अनेक गंभीर चोटें पाई गईं। दरअसल, सिर के पिछले हिस्से की हड्डी में कई फ्रैक्चर थे। शव परीक्षण सर्जन ने बताया कि मृत्यु का कारण सिर में कई चोटों के परिणामस्वरूप कोमा था और यह हत्या का मामला था। शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श- संख्या 13 है,आगे की जांच में,

अपीलकर्ताओं को हिरासत में लिया गया और साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत उनके ज्ञापन बयान (प्रदर्श-पी/4, पी/5 और पी/7) दिनांक 8.5.2004 को दर्ज किए गए तथा अपीलकर्तागण की सूचना पर लाठियां जब्त की गईं। जब्त की गई वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए रायपुर स्थित न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) भेजा गया, जहां से एक रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/34)

प्राप्त हुई। न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार, अपीलकर्ताओं की सूचना पर जब्त की गई लाठियों और मृतक के कपड़ों पर खून के धब्बे पाए गए। उपरोक्त वस्तुओं को सीरोलॉजिस्ट परीक्षण के लिए कोलकाता स्थित सीरोलॉजी संस्थान भेजा गया और एक रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/35) प्राप्त हुई। सीरोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, मृतक के कपड़ों पर 'O' समूह के मानव रक्त के धब्बे पाए गए। हालांकि, कपड़ों पर पाए गए रक्त के धब्बों का स्रोत स्पष्ट नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लाठियों के विघटन के कारण उनकी पहचान नहीं की जा सकी।

चूंकि जेठू मार्खंडे (अ.सा-2) हमलावरों को नहीं जानते थे, इसलिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट के.एल. सोरी (अ.सा-12) द्वारा 9.5.2004 को पहचान कार्यवाही आयोजित की गई। पहचान कार्यवाही में, जेठू मार्खंडे (अ.सा-2) ने उस समय तक गिरफ्तार किए गए तीनों अपीलकर्ताओं, बोधिराम, राकेश और राजेंद्र की पहचान की और उन्हें पहचान के लिए पेश किया गया। पहचान कार्यवाही प्रदर्श-पी/15 है। घटना के चौथे दिन, यानी 8.5.2004 को, दिनेश कुमार (अ.सा-5) का 161 दंड प्रक्रिया संहिता का बयान (प्रदर्श-डी/1) दर्ज किया गया। वह एक प्रत्यक्षदर्शी के रूप में उपस्थित हुए और उन्होंने बताया कि उन्होंने अपीलकर्तागण को अपने पिता पर लाठियों से हमला करते देखा था।

विद्वान सत्र न्यायाधीशों ने जेठू मार्खंडे (अ.सा-2) और दिनेश कुमार (अ.सा-5) की गवाही पर भरोसा करते हुए यह माना कि यह सभी उचित संदेहों से परे सिद्ध हो गया है कि अपीलकर्तागण ने मृतक पर लाठी से हमला किया था और इसलिए वे धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता के तहत दंड के पात्र हैं। इस प्रकार अपीलकर्तागण को उपरोक्त उल्लिखित दो अलग-अलग मुकदमों में दोषी ठहराया गया और उपरोक्त अनुसार सजा सुनाई गई।

(5) सर्वप्रथम हम प्रथम सत्र के मुकदमे, अर्थात् सत्र मुकदमा संख्या 419/2004 में प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करेंगे। इस मुकदमे में दोषसिद्धि मुख्यतः जेठू मार्खंडे (अ.सा-2) और दिनेश कुमार (अ.सा-5) के साक्ष्यों पर आधारित है। जेठू मार्खंडे प्रत्यक्षदर्शी हैं और उन्होंने मृतक पर 4-5 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किए गए हमले को देखा था। जेठू मार्खंडे (अ.सा-2) ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श-पृष्ठ 2) दर्ज कराई थी। उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि उन्होंने 5 अज्ञात व्यक्तियों को मृतक पर हमला करते देखा था। हालांकि, न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में उन्होंने कहा कि वहां केवल 4 व्यक्ति ही थे जोमृतक पर हमला करने के आरोप में, प्रतिपरीक्षा के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि गलती से उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट में 5 हमलावरों का जिक्र किया था, जबकि वास्तव में 4 हमलावर थे। चूंकि ये हमलावर इस गवाह के लिए अज्ञात थे, इसलिए 9.5.2004 को एक पहचान कार्यवाही आयोजित की गई और 3 अपीलकर्तागण (दाण्डिक अपील क्रमांक 75/2006 से संबंधित) को पहचान के लिए पेश किया गया। टी.आई.पी. मेमो (प्रदर्श-पृष्ठ/15) के अनुसार, जेठू मार्खंडे (अ.सा-2) ने पहचान कार्यवाही में उपरोक्त अपीलकर्तागण की पहचान की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) **मुल्ला और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2010) 3 एससीसी 508** में, सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान कार्यवाही और डॉक-पहचान से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करते हुए, अन्य कई निर्णयों पर भरोसा करते हुए यह माना कि:

"पहचान कार्यवाही आयोजित करने की आवश्यकता तभी उत्पन्न हो सकती है जब आरोपी व्यक्ति गवाहों के लिए पहले से अज्ञात हों। परीक्षण पहचान कार्यवाही का पूरा उद्देश्य यह है कि घटना के समय अपराधियों को देखने का दावा करने वाले गवाहों को अन्य व्यक्तियों के बीच से बिना किसी सहायता या अन्य स्रोत के उनकी पहचान करनी होती है। यह परीक्षण उनकी सत्यता की जाँच के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में, जाँच के चरण में पहचान कार्यवाही आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य गवाहों की पहली छाप के आधार पर उनकी स्मृति का परीक्षण करना और अभियोजन पक्ष को यह तय करने में सक्षम बनाना है कि क्या उनमें से सभी या कोई भी अपराध के प्रत्यक्षदर्शी के रूप में उद्धृत किए जा सकते हैं।"

पहचान की कार्यवाही एक प्रकार की परीक्षा होती है, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम, 1872 में इसका कोई प्रावधान नहीं है। यह वांछनीय है कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद यथाशीघ्र पहचान कार्यवाही आयोजित की जाए। यह इसलिए आवश्यक है ताकि पहचान कार्यवाही से पहले आरोपी को गवाहों को दिखाए जाने की संभावना को समाप्त किया जा

सके। यह आरोपी का एक आम बहाना होता है, इसलिए अभियोजन पक्ष को सतर्क रहना होगा ताकि इस तरह के आरोप लगाने की कोई गुंजाइश न रहे,हालांकि, यदि परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर हों और कुछ देरी हो जाए, तो इसे अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं कहा जा सकता।

(7) उपरोक्त मामले में प्रतिपादित सिद्धांतों को लागू करते हुए, यदि हम जेठू मार्खंडे (अ.सा-2) के साक्ष्य की सत्यता की जाँच करें, तो उन्होंने अपने साक्ष्य के कंडिका-32 और 33 में स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है कि उन्हें रविवार को पुलिस द्वारा बुलाया गया था; उनका बयान लिया गया था और उस समय उपरोक्त तीनों आरोपी पुलिस थाना में उपस्थित थे और उन्होंने उन्हें उस तारीख को पुलिस थाना में देखा था। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उपरोक्त आरोपियों को पुलिस थाना के एक कमरे में रखा गया था; वह उन्हें देख सकते थे; और उन्होंने पुलिस थाना में ही तीनों आरोपियों के चेहरे देखे थे। यह स्वीकार किया जाता है कि यह घटना दिनांक 9.5.2004 को पहचान कार्यवाही आयोजित करने से पहले की थी। इससे पता चलता है कि जेठू मार्खंडे (अ.सा-2) ने पहचान कार्यवाही से पहले अपीलकर्तागण को पुलिस थाना में देखा था और इस कारण से पहचान कार्यवाही अमान्य हो जाती है। माननीय सत्र न्यायाधीश ने पहचान कार्यवाही पर भरोसा किया है। साथ ही, उपरोक्त तीनों अपीलकर्तागण की जेठू मार्खंडे (अ.सा-2) द्वारा की गई पहचान पर भी संदेह है। हमारा मानना है कि पहचान कार्यवाही में उक्त खामियों के आलोक में, जेठू मार्खंडे (अ.सा-2) द्वारा उपरोक्त अपीलकर्तागण की सही पहचान से संबंधित साक्ष्य संदिग्ध हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 8.5.2004 को, अपीलकर्तागण के ज्ञापन बयान लेने के बाद, उन्हें पुलिस थाना में हिरासत में रखा गया था, जहां जेठू मार्खंडे (अ.सा 2) को पुलिस द्वारा बुलाया गया था और उन्होंने अपीलकर्तागण को देखा था और फिर दिनांक 9.5.2004 को उक्त पहचान कार्यवाही में उनकी पहचान की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) सत्र न्यायाधीश द्वारा भरोसा किया गया दूसरा साक्ष्य दिनेश कुमार (अ.सा-5) का साक्ष्य है। दिनेश कुमार अ.सा-5) मृतक का पुत्र है। वह घटना का प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा करता हैदिनेश कुमार (अ.सा-5) एक संयोगवश गवाह है। उसने बयान दिया कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन उसके पिता (मृतक) ने उससे कहा कि वह एक भैंस बेचना चाहते हैं, इसलिए दिनेश कुमार (अ.सा-5) भैंस को मुंगेली बाजार ले जाए और उसके पिता साइकिल से आएंगे। जब वह भैंस के साथ जा रहा था, तो उसने देखा कि आरोपी बैलगाड़ी पर आ रहे हैं। बैलगाड़ी रास्ते में उससे आगे निकल गई और कोडवाबानी की ओर चली गई। उसने मुड़कर देखा तो पाया कि उसके पिता कोडवाबानी की तरफ से साइकिल पर आ रहे हैं। सभी आरोपी उसके पिता का पीछा करने लगे, जो उनसे आगे भाग रहे थे, और उन्होंने लाठियों से उन पर हमला करना शुरू कर दिया। यह घटना झुलना गांव की है। वह

डर गया और अपने गांव कोडवाबानी वापस चला गया। हम ध्यान देते हैं कि घटना दिनांक 5.5.2004 को हुई थी। दिनेश कुमार (अ.सा-5) का बयान (प्रदर्श-डी/1) 8.5.2004 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किया गया था। दिनेश कुमार (अ.सा-5) लगभग चार दिनों तक चुप क्यों रहे, इसका कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण नहीं है। अभिलेख से पता चलता है कि वह 5 मई 2004 से जांच के दौरान लगातार पुलिस के साथ थे। यह बात पुलिस द्वारा 5 मई 2004 को तैयार किए गए शवपरीक्षण के मांग पत्र (प्रदर्श-P/13-A) से स्पष्ट है। उक्त दस्तावेज़ में शव की पहचान करने वाले व्यक्तियों के उल्लेख वाले कॉलम में मृतक के पुत्र दिनेश कुमार (अ.सा-5) का नाम दर्ज है। इससे पता चलता है कि दिनेश कुमार 5 मई 2004 को शव के साथ उस पुलिस अधिकारी के साथ गए थे जो मांग पत्र (प्रदर्श-पृष्ठ /13-A) के साथ शव को शव परीक्षण के लिए ले गया था।

इतना ही नहीं, शव परीक्षण (प्रदर्श-पृष्ठ/13) में भी यह उल्लेख किया गया है कि मृतक के शव की पहचान की गई थी।दिनेश कुमार (अ.सा-5) मृतक का पुत्र है। यह शवपरीक्षण सर्जन द्वारा सिद्ध किया जा चुका है। जब दिनेश कुमार (अ.सा-5) 5 मई 2004 से लगातार पुलिस के साथ मौजूद था, तो उसने उस घटना के बारे में पुलिस को क्यों नहीं बताया जिसे उसने 5 मई 2004 को देखने का दावा किया है? इतना ही नहीं, यदि हम शवपरीक्षण अनुरोध पत्र (प्रदर्श-पृष्ठ/13-A) की सामग्री को देखें, तो हम पाते हैं कि शव को शवपरीक्षण के लिए भेजने तक पुलिस अधिकारी के पास उपलब्ध जानकारी के कॉलम में यह उल्लेख किया गया है कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने मृतक पर हमला किया था। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि दिनेश कुमार (अ.सा-5) इस दस्तावेज़ में एक पक्षकार है। यदि उसे पता होता कि आरोपियों ने उसके पिता पर हमला किया है, तो वह यह तथ्य पुलिस को बता देता, और , मांग पत्र प्रदर्श-पृष्ठ/13-A में यह उल्लेख नहीं होता कि मृतक पर अज्ञात व्यक्तियों ने हमला किया था।

(9) **बालकृष्ण स्वैन बनाम उड़ीसा राज्य, एआईआर 1971 एससी 804: 1971 क्रिमिनल लॉ जज 670** में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि हत्या के मामले की जांच के दौरान धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत महत्वपूर्ण चक्षुदर्शी साक्षी का बयान दर्ज करने में जांच अधिकारी द्वारा अनुचित और अस्पष्टीकृत लंबी देरी से ऐसे गवाह का साक्ष्य अविश्वसनीय हो जाएगा। क्योंकि देरी से गवाह को वास्तविक घटना से भिन्न विवरण गढ़ने का अवसर मिल जाएगा।

(10) **उड़ीसा राज्य बनाम श्री ब्रह्मानंद नंदा, एआईआर 1976 एससी 2488: (1976 क्रिमिनल लॉ जज 1985)** मे चक्षुदर्शी साक्षी ने डेढ़ दिन तक हमलावर का नाम नहीं बताया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि हत्या के मामले में जहां संपूर्ण अभियोजन पक्ष का मामला निर्भर करता है,घटना के डेढ़ दिन बाद तक प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा करने वाले व्यक्ति के साक्ष्य में हमलावर का नाम नहीं बताया गया और नाम न बताने के लिए दिया गया स्पष्टीकरण अविश्वसनीय था। इस प्रकार का नाम न बताना एक गंभीर खामी थी जिसने गवाह के साक्ष्य की विश्वसनीयता को नष्ट कर दिया और उच्च न्यायालय द्वारा इसे अविश्वसनीय मानते हुए खारिज करने और आरोपी को दोषमुक्त करने का निर्णय सही था।

(11) **बच्छू नारायण सिंह बनाम नरेश यादव और अन्य, (एआईआर 2004 एससी 3055/2004 क्रिमिनल लॉ जज)** 5013 के मामले में, जांच अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट तैयार करने के दौरान एक घंटे से अधिक समय तक कोई भी प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा करते हुए घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए उपस्थित नहीं हुआ, जबकि कथित तौर पर दस प्रत्यक्षदर्शी थे। जांच अधिकारी के घटनास्थल पर पहुंचने के डेढ़ घंटे से अधिक समय बाद रिपोर्ट दर्ज की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि घटना के समय सूचना देने वाले और कथित प्रत्यक्षदर्शी की उपस्थिति संदिग्ध प्रतीत होती है। घटना के समय प्रत्यक्षदर्शी की उपस्थिति पर गंभीर संदेह था।

(12) उपरोक्त निर्णयों का अवलंब लेते हुए, इस न्यायालय ने **प्रदीप कुमार जायसवाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, 2010 क्रिमिनल लॉ जर्नल 545** में यह माना कि चश्मदीदों द्वारा देर से किए गए खुलासे के सभी मामलों में कोई एक जैसा नियम लागू नहीं किया जा सकता है और गवाहों की विश्वसनीयता का आकलन प्रत्येक मामले के प्रचलित तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए। हालांकि, यह निर्णय सामान्य मानवीय आचरण और संभावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया जाना चाहिए। इसमें ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम देने से संबंधित तथ्यों को गुप्त रखने के बारे में दी गई व्याख्या भी शामिल है।

(13) उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करने पर, दिनेश कुमार (अ.सा-5) का आचरण अत्यंत संदिग्ध हो जाता है। मृतक का पुत्र होने के बावजूद, उसने अपने पिता पर चार व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे हमले को देखकर कोई शोर-शराबा नहीं किया। यहाँ तक कि वह अपने पिता को बचाने भी नहीं गया। उसने पुलिस के साथ जाँच में भाग लिया, लेकिन लगभग चार दिनों तक पुलिस को कुछ भी नहीं बताया। दिनेश कुमार (अ.सा-5) द्वारा दिया गया यह स्पष्टीकरण कि वह भयभीत था, उसके समग्र आचरण को देखते हुए विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता। हमने दिनेश कुमार (अ.सा-5) के साक्ष्य की अत्यंत सावधानीपूर्वक जाँच की है, क्योंकि वह मृतक का पुत्र है। उसके साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जाँच करने पर, उसके देर से खुलासा करने के उपरोक्त आचरण और जाँच के दौरान पुलिस के साथ रहने के कारण, हम पाते हैं कि दिनेश कुमार (अ.सा-5) की गवाही पर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भरोसा करना सुरक्षित नहीं था। हमारा मानना है कि माननीय सत्र न्यायाधीश ने दिनेश कुमार (अ.सा-5) की गवाही पर भरोसा करने में विधिगत त्रुटि की है।

(14) विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि इन अपीलकर्तागण द्वारा दिए गए बयान के आधार पर लाठियाँ जब्त की गईं और न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट में उन पर खून के धब्बे पाए गए। लाठियाँ आम वस्तुएँ हैं। सीरोलॉजिस्ट परीक्षण में उन पर पाए गए खून के धब्बों की उत्पत्ति और समूह का निर्धारण नहीं किया जा सका। इसलिए, केवल अपीलकर्तागण के कहने पर लाठियों की जब्ती के आधार पर, न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट में उन पर पाए गए खून के धब्बों की उत्पत्ति और समूह के किसी भी प्रमाण के अभाव में, उनके शरीर पर खून के धब्बे पाए जाने के कारण, अपीलकर्तागण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अतः, अभियोजन पक्ष के मामले में उपरोक्त विसंगति के आलोक में, आपराधिक अपील क्रमांक 75/2006 के उपरोक्त 3 अपीलकर्तागण की दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता और उन्हें बरी किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(15) अब हम अपीलार्थी राजेश उर्फ पालू साहू के मामले पर विचार करेंगे, जिस पर बाद में सत्र परीक्षण क्रमांक 29/2007 के तहत मुकदमा चलाया गया था।

(16) उक्त सत्र परीक्षण (क्रमांक 29/2007) में जेठू को प्रथम गवाह के रूप में परीक्षित किया गया है। उसने मुख्य परीक्षा के कंडिका-1 में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वह इस आरोपी (राजेश उर्फ पालू साहू) को नहीं जानता और उसे पहली बार अदालत में देख रहा है। यह स्वीकार किया जाता है कि आरोपी राजेश उर्फ पालू साहू की पहचान के लिए कोई टी.आई.पी. नहीं कराई गई थी। इसलिए, जेठू (अ.सा-1) द्वारा उसकी पहचान बिल्कुल नहीं की गई थी।

(17) उक्त मुकदमे में दिनेश कुमार को (अ.सा-4) के रूप में पेश किया गया है। हालांकि अपने मुख्य बयान में उन्होंने अपीलकर्तागण को मृतक पर हमला करते हुए देखने की बात स्वीकार की, लेकिन प्रतिपरीक्षण में उन्होंने माना कि उन्होंने ये तथ्य किसी और को नहीं बताए। प्रतिपरीक्षण के कंडिका-7 में उन्होंने यह भी इनकार किया कि पुलिस ने उनका धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान दर्ज किया था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि पुलिस ने इस मामले में कोई लिखित बयान (धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उनका बयान) पेश किया है, तो वह गलत है। उन्होंने पुलिस को कभी कोई बयान नहीं दिया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वह ये सभी तथ्य पहली बार बता रहे हैं,न्यायालय के समक्ष दिनेश कुमार (अ.सा-4) के आचरण पर पहले ही चर्चा

कर चुके हैं। उपरोक्त सत्र न्यायालय की सुनवाई में राजेश उर्फ पालू साहू की दोषसिद्धि मुख्यतः दिनेश कुमार की गवाही पर आधारित है। जिन कारणों का हमने पहले उल्लेख किया है, उनके अनुसार उनकी गवाही विश्वसनीय नहीं थी और उनके संपूर्ण साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर हम पाते हैं कि सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी राजेश उर्फ पालू साहू को दोषी ठहराने के लिए दिनेश कुमार (अ.सा-4) की गवाही पर भरोसा करने में विधिगत त्रुटि की है। हमारा मत है कि उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर राजेश उर्फ पालू साहू को दोषी नहीं ठहराया जा सकता था और उन्हें दी गई दोषसिद्धि और सजा को भी रद्द किया जाना चाहिए।

(18) उपरोक्त कारणों से, अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलकर्तागण को धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता के तहत दी गई सजा और दोषसिद्धि रद्द की जाती है। अपीलकर्तागण को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है। यह कहा गया है कि दाण्डिक अपील क्रमांक 75/2006 के 3 अपीलार्थी 8.5.2004 से जेल में हैं और दाण्डिक अपील क्रमांक 422/2009 का चौथा अपीलार्थी 1.9.2007 से जेल में है। यदि किसी अन्य मामले में उनकी आवश्यकता न हो तो उन्हें तत्काल रिहा किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**सही/-**

**सुनील कुमार सिन्हा,**

**न्यायाधीश**

**सही/-**

**राधे श्याम शर्मा**

**न्यायाधीश**

**<u>अस्वीकरण:</u> हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

**Translated By- AYUSH TRIPATHI, Advocate**